भारत सरकार

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं0 368**

18 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

“kgjh c?kjksa ds fy;s vkJ;

*368. श्री जी॰ सेल्वमः

डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या vkokl u vkSj 'kgjh dk;Z मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ''शहरी बेघरों के लिये आश्रय'' योजना के अंतर्गत विशेषकर तमिलनाडु सहित, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि प्रदान करती है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत/जारी की गई धनराशि, पूर्ण रूप से निर्मित आश्रयों, प्राप्त हुए प्रस्तावों एवं उनकी स्थिति सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नगरों में बेघर बाहुल्य जोनों की मैपिंग की है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रमुख नगरों में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर एक रात्रि आश्रय के अनुपात में मूलभूत सुविधाओं से युक्त रात्रि आश्रय प्रदान किये जायेंगे और यदि हां, तो उक्त आदेश को कार्यान्वित कर चुके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी शहरी बेघरों को समयबद्ध तरीके से आश्रय प्रदान करने हेतु अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

**<u>उत्तर</u>**

**<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)</u>**

**(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

**(क) से (ड.):** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

********

## <u>विवरण</u>

**“ “kgjh c?kjk d fy;: vkJ;”: के संबंध में दिनांक 18.07.2019 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *368 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

*****

(क) और (ख): शहरी बेघरों को  श्रय उपलब्ध कराना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने के लिए,  वासन और शहरी कार्य मंत्रालय, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी  जीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए  श्रय (एसयूएच) नामक स्कीम चला रहा है । इसमें शहरी बेघरों को मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित स्थायी  श्रय उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिया गया है ।

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत, तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समेकित ढंग से धनराशि  बंटित की जाती है, जिसमें से शहरी बेघरों के लिए  श्रय (एसयूएच) के लिए उनकी  वश्यकतानुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समुचित धनराशि  बंटित की जाती है । वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 1450.56 करोड़ रू. जारी किए गए थे । वर्षवार और राज्यवार सूचना अनुलग्नक-I पर दी गई है ।

राज्य स्तरीय परियोजना संस्वीकृति समिति (पीएससी),  श्रयों के निर्माण, नवीनीकरण और उनकी समुचित प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) लागत संस्वीकृत करने के लिए प्रस्तावों पर विचार करने तथा उन्हें अनुमोदित करने के लिए सक्षम है ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान 992  श्रय संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 862  श्रय प्रचालनरत हैं । शेष  श्रय निर्माण/नवीनीकरण के विभिन्न स्तरों पर हैं । संस्वीकृत और प्रचालनरत  श्रयों की वर्षवार और राज्यवार सूचना अनुलग्नक-II पर दी गई है ।

(ग): शहरी बेघरों के संकेंद्रण वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी है । एसयूएच के दिशानिर्देशों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सुव्यवस्थित तृतीय पक्ष सर्वेक्षण कराये जाने की व्यवस्था है ताकि उचित स्थानों पर  श्रयों की  वश्यकता का सही  कलन किया जा सके ।

(घ): एसयूएच के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक एक लाख शहरी जनसंख्या के लिए स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम सौ व्यक्तियों हेतु स्थायी  श्रयों का प्रावधान किया जाना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों के  धार पर, प्रत्येक  श्रय में अधिमानत: 50 या 50 से अधिक

व्यक्ति के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए । विशेष परिस्थितियों में, कम क्षमता वाले  श्रयों को भी अनुमोदित किया जा सकता है ।

(ड.):  वासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी बेघरों को  श्रय मुहैया कराने के लिए विभिन्न अन्य पहल की हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सभी जिला मुख्यालय कस्बों और एक लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले अन्य कस्बों को एसयूएच के कार्यान्वयन का लाभ देना,
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को  श्रयों को चलाने के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में भवनों को किराए पर लेने की अनुमति देना,
- डीएवाई-एनयूएलएम पोर्टल पर देशभर के  श्रयों का ब्यौरा अपलोड करना,
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसयूएच घटक के लिए पृथक खाता शीर्ष में धनराशि रखने और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए  श्रयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु निदेश देना,
-  श्रयों की जीओ-टैगिंग,
-  श्रयों को महाविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों के साथ जोड़ना ताकि विद्यार्थी स्वयंसेवक  श्रयों के निवासियों से मिल सकें और उन्हें अपनेपन का एहसास करा सकें, और
-  श्रयों के दिव्यांग निवासियों के लिए  श्रयों को बाधा मुक्त बनाना ।

*******

**अनुलग्नक-I**

**दिनांक 18.07.2019 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 368 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I**

**डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा**

**करोड़ रू. में**

| क्रम. सं0 | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | जारी की गई धनराशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | कुल |
| 1 | □ ंध्र प्रदेश | 56.30 | 36.31 | 30.20 | 33.38 | 156.19 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 1.43 | 6.22 | 3.66 | 1.91 | 13.22 |
| 3 | असम | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| 4 | बिहार | 22.38 | 0.00 | 42.52 | 0.00 | 64.9 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 13.46 | 34.56 | 21.15 | 0.00 | 69.17 |
| 6 | गोवा | 0.23 | 2.08 | 4.85 | 0.00 | 7.16 |
| 7 | गुजरात | 0.00 | 0.00 | 30.94 | 0.00 | 30.94 |
| 8 | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.38 | 26.38 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 3.56 | 8.05 | 1.69 | 0.00 | 13.3 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 1.89 | 3.23 | 0.00 | 5.12 |
| 11 | झारखंड | 15.36 | 44.89 | 11.24 | 0.00 | 71.49 |
| 12 | कर्नाटक | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 23.08 |
| 13 | केरल | 0.00 | 25.19 | 18.60 | 13.48 | 57.27 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 28.80 | 41.75 | 21.60 | 38.18 | 130.33 |
| 15 | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | मिज़ोरम | 20.93 | 12.73 | 6.82 | 4.21 | 44.69 |
| 19 | नागालैंड | 8.45 | 10.87 | 3.43 | 2.88 | 25.63 |
| 20 | ओडीशा | 6.56 | 17.05 | 16.24 | 12.71 | 52.56 |
| 21 | पंजाब | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 10.07 |
| 22 | राजस्थान | 7.92 | 28.51 | 31.10 | 0.00 | 67.53 |
| 23 | सिक्किम | 0.97 | 2.31 | 1.12 | 0.00 | 4.4 |
| 24 | तमिलनाडु | 58.45 | 78.85 | 68.53 | 0.00 | 205.83 |
| 25 | तेलंगाना | 4.70 | 32.49 | 15.56 | 0.00 | 52.75 |
| 26 | त्रिपुरा | 0.00 | 8.93 | 6.33 | 0.00 | 15.26 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 22.66 | 71.95 | 53.38 | 31.14 | 179.13 |
| 28 | उत्तराखंड | 5.38 | 8.00 | 7.75 | 0.00 | 21.13 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 8.31 | 32.96 | 35.94 | 0.00 | 77.21 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| 31 | चंडीगढ़ | 0.00 | 1.99 | 1.82 | 0.00 | 3.81 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 34 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | पुडुचेरी | 2.79 | 2.97 | 1.97 | 0.00 | 7.73 |
| | कुल | 289.71 | 556.73 | 439.85 | 164.27 | 1450.56 |

**अनुलग्नक-।।**

**दिनांक 18.07.2019 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं0 368 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II**

**डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत संस्वीकृत और प्रचालनरत आश्रयों का वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा**

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्तीय वर्ष 2016-17 | | वित्तीय वर्ष 2017-18 | | वित्तीय वर्ष 2018-19 | | वित्तीय वर्ष 2019-20 | | संचयी (वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संस्वीकृत | प्रचालनरत | संस्वीकृत | प्रचालनरत | संस्वीकृत | प्रचालनरत | संस्वीकृत | प्रचालनरत | संस्वीकृत | प्रचालनरत |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | □ ंध्र प्रदेश | 24 | 10 | 24 | 10 | 15 | 26 | 0 | 0 | 63 | 46 |
| 3 | असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | बिहार | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| 5 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 6 | 6 | 34 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 44 | 21 |
| 7 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | गुजरात | 0 | 0 | 17 | 11 | 64 | 25 | 0 | 0 | 81 | 36 |
| 9 | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 60 | 15 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | झारखंड | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 78 | 26 | 0 | 108 | 78 |
| 13 | कर्नाटक | 1 | 7 | 13 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 26 | 19 |
| 14 | केरल | 7 | 7 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | महाराष्ट्र | 11 | 0 | 32 | 18 | 30 | 37 | 0 | 0 | 73 | 55 |
| 17 | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | मिज़ोरम | 24 | 24 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 30 |
| 20 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | 0 | 177* | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 190* |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दिल्ली | | | | | | | | | | |
| 22 | ओडिशा | 16 | 19 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 29 |
| 23 | पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | पंजाब | 4 | 11 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 25 | राजस्थान | 53 | 34 | 68 | 37 | 17 | 15 | 0 | 0 | 138 | 86 |
| 26 | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | तमिलनाडु | 46 | 46 | 43 | 11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 147 | 57 |
| 28 | तेलंगाना | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 29 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 10 | 5 | 34 | 45 | 26 | 27 | 0 | 0 | 70 | 77 |
| 31 | उत्तराखंड | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 15 | 1 | 10 | 6 | 24 | 7 | 0 | 0 | 49 | 14 |
| **कुल** | | **235** | **367** | **312** | **215** | **418** | **280** | **27** | **0** | **992** | **862** |

**डीएवाई-एनयूएलएम के साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 83 स्थायी  श्रयों और 116 पोर्टा कैबिनों की समाभिरूपता अनुमोदित की गई थी । तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में केवल 190 प्रचालनरत  श्रय हैं, जिनमें से 13  श्रयों को डीएवाई-एनयूएलएम निधियां उपलब्ध कराई गई हैं और शेष का प्रबंध दिल्ली शहरी  श्रय सुधार बोर्ड (*डीयूएस ईबी*) द्वारा किया जा रहा है।*